न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06 / 2017

दायर दिनांक : 25.09.2017

अनवान

1. भवाना पिता देवा जाट निवासी सोनियाणा तहसील माण्डलगढ।
2. कालू पिता भवाना जाट निवासी सोनियाणा तहसील माण्डलगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसी पत्नि स्व0 मांगीनाथ नाथ बाबा निवासी सोनियाणा तहसील माण्डलगढ।
2. राजू पिता मांगीनाथ नाथ बाबा निवासी सोनियाणा तहसील माण्डलगढ़

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री अनिल पारीक (अधिवक्ता अप्रार्थीया संख्या 01)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 व 151 जाब्ता दिवानी

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.03.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 व 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीया घीसी स्व0 मांगीनाथ की बेवा है। प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजू नही होकर राजेश नाथ है। वादी ने प्रतिवादी का नाम गलत लिखवाया है। प्रतिवादीया घीसी दस्तखत करना जानती है। प्रतिवादी राजेश नाथ ग्राम सोनियाणा में निवास करता है। प्रतिवादीगण को न्यायालय श्रीमान् की ओर से सम्मन व वादपत्र की नकल प्रेषित नही की गई है। सम्मन की तामिल नही करवाई गई है। प्रतिवादीगण सम्मन तामिल करवाया जाना मांगीनाथ के सामने लिखा है। मांगीनाथ प्रतिवादीया संख्या 01 का पति और प्रतिवादी संख्या 02 का पिता का देहावासन हो चूका है, कथित मांगीनाथ की पहचान बाबत् सम्मन में कुछ नही लिखा है। दिनांक 04.08.2015 ओर दिनांक 28.10.2015 के मध्य प्रतिवादीगण ग्राम सोनियाणा में ही थे वादी की तामिल कुलिन्दा की मिलीभगत हुई तब गलत तामिल करवाकर न्यायालय में पेश की गई। दिनांक 04.08.2015 को पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत थी दिनांक 28.10.2015 दिनांक 20.01.2016 दिनांक 08.09.2016 दिनांक 12.04.2016 दिनांक 16.06.2016 दिनांक 27.02.2016 दिनांक 18.10.2016 दिनांक 19.10.2016 दिनांक 27.01.2017 दिनांक 21.03.2017 दिनांक 25.04.2017 व दिनांक 21.05.2017 को तारिख पेशी लगा आपके द्वार कैम्प में रलायता रखी गई। परन्तु प्रतिवादीगण को बिना सूचित किये सुनवाई अवसर प्रदान किये प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश व डिक्री जारी की गई। प्रतिवादीगण दिनांक 31.08.2017 को हल्का पटवारी से खाते की नकले लेने गये हल्को पटवारी मानपुरा ने हमे बताया कि तुम्हारे खिलाफ कब्जा हटाने कि डिक्री हुई है। प्रतिवादीगण दिनांक 01.09.2016 को न्यायालय माण्डलगढ में आये अधिवक्ता नियुक्त किया, नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 28.10.2015 को एक तरफा आदेश तथा दिनांक 31.05.2017 को एक पक्षीय डिक्री जारी की गई है। एक पक्षीय आदेश तथा एक पक्षीय डिक्री की जानकारी प्रतिवादीगण को दिनांक 31.08.2017 दिनांक 01.09.2017 को हुई। प्रार्थना आदेश व डिक्री की जानकारी के एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र समयावधि में है। प्रतिवादीगण ग्रामीण काश्तकार है। कानून की अनभिज्ञता है। प्रतिवादीगण जान

Signature Not Ve
Digitally signed by U
Date: 2021.04.12 14
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

झकर न्यायालय आप में अनुपस्थित नही रहे है। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि और वांछित शुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि श्रीमान द्वारा पारित एक तरफा आदेश व दिनांक 28.10.2015 तथा एक तरफा आदेश एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 को निरस्त फरमाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करावें।

दिनांक 12.12.2017 को उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया। यह है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.09.2017 को प्रार्थनापत्र पेश किया वादी संख्या 2 का नाम काजु पत्नि भवाना है। लेकिन टंकन की गलती से कालू पिता भवाना कर दिया है। जिसे सुधार करना विधी एवं न्याय संगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी संख्या 2 का नाम कालू पिता भवाना जाट की बजाए काजू पत्नि भवाना जाट लिखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 27.03.2018 कों पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी पर नो ओब्जेक्शन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कालू पिता भवाना जाट की बजाए काजू पत्नि भवाना जाट किया गया।

दिनांक 12.12.2018 को अधिवक्ता वादी ने वादी संख्या 01 भवाना की मृत्यु होना अवगत करवाया। दिनांक 04.02.2019 को अधिवक्ता श्री अनील पारिक ने कायम मुकाम काजू व शास्ति का अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 10.06.2019 को अधिवक्ता श्री अनील पारिक द्वारा कायम मुकाम लाड की ओर से अधिकार पत्र पेश किया।

दिनांक 22.03.2021 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने संशोधित टाईटल एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय के प्रकरण संख्या 201/2014 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जाता है। एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 व धारा 151 जाप्ता दिवानी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:11 IST
Reason: SelfAttested